**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1824**

**जिसका उत्तर 03 जुलाई, 2019 को दिया जाना है**

**कोयला खदानों में संरक्षा और सुरक्षा का आकलन**

**1824**. **श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः**
**डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः**
**श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**
**श्री कुलदीप राय शर्माः**
**डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः**
**डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां देशभर में कोयला खानों की संरक्षा और सुरक्षा के आकलन हेतु विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं ले रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों की सभी कोयला खानों में संरक्षा संपरीक्षा करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संरक्षा संपरीक्षा दल द्वारा निर्धारित मापदंड और आकलन क्या हैं;

(घ) संरक्षा संपरीक्षा के दौरान पहचान की गई कमियां क्या हैं और सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कोयला खानों के संरक्षा मानकों में सुधार के लिए और क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

**उत्तर: (क):** कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियां देश भर में कोयला खानों में सुरक्षा एवं संरक्षा का आकलन करने हेतु निम्नलिखित सुरक्षा सेवाएं प्राप्त कर रही हैं:

**ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल):** ईसीएल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), झारखंड राज्य होमगार्ड्स, विभागीय सुरक्षा जोकि केवल खानों की सुरक्षा सेवा के लिए मौजूद हैं, के अलावा संविदागत सुरक्षा की सेवाएं प्राप्त कर रही है।

**साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल):** एसईसीएल प्रबंधन द्वारा समय-समय पर किए गए सुरक्षा आकलन के आधार पर विभागीय सुरक्षा कार्मिक, पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैनात संविदागत सुरक्षा कार्मिक तथा छत्तीसगढ़ राज्य से होमगार्ड कार्मिक तैनात किए जाते हैं।

**वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) :** डब्ल्यूसीएल पेंच और कान्हां में खानों/मैगजीनों की सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ की सेवाएं तथा डब्ल्यूसीएल के महाराष्ट्र क्षेत्र में विस्फोटक मैगजीनों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम की सेवाएं प्राप्त कर रही है।

**नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल):** एनसीएल में कोयला खानों एवं विस्फोटक मैगजीनों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं:

i. बीना और जयंत में स्थित अमलोहरी परियोजना एवं दो केन्द्रीकृत विस्फोटक मैगजीनों की सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ तैनात की गई है (कुल 428 सीआईएसएफ कार्मिक)।
ii. एनसीएल सिंगरौली की सभी खनन परियोजनाओं/यूनिटों की सुरक्षा हेतु डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा कार्मिक तैनात किए जाते हैं (कुल 1637 डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा कार्मिक)।

**सैंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) :** सीसीएल ने कोयला खानों की सुरक्षा हेतु विभिन्न एजेंसियों को नियुक्त किया है। ये हैं - सीआईएसएफ, एसआईएसएफ (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल), झारखंड राज्य होमगार्डस।

**भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) :** पुन: सर्वेक्षण 2006 के दौरान बीसीसीएल में कोयला खानों की सुरक्षा आकलन सीआईएसएफ एवं बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

**महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)**: एमसीएल में एमसीएल के क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर प्रदान करने हेतु 14 (चौदह) डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है।

**नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी):** एनईसी में डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियां तैनात की की जा रही हैं।

**कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) :** सीआईएल में विभागीय एवं निजी सुरक्षा एजेंसियां तैनात की जाती हैं।

**उत्तर (ख) :** जी हां, वर्ष 2018-19 में कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों की उत्पादन करने वाली सभी खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा संबंधित सहायक कंपनी से बहु-विषयक अंतर्क्षेत्रीय सुरक्षा लेखापरीक्षा टीमों द्वारा की गई है।

**उत्तर (ग) :** खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा के संक्षिप्त ब्यौरे तथा निर्धारित मानदंड नीचे दिए गए हैं:

1. खानों की सुरक्षा लेखापरीक्षा संबंधित सहायक कंपनी की अंतर्क्षेत्रीय टीमों के माध्यम से की जाती है।
2. सभी टीमें बहुविषयक हैं।
3. लेखा परीक्षा पद्धति में खानों का निरीक्षण, खान सुरक्षा से संबंधित सभी संगत दस्तावेजों की जांच, सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) की जांच तथा पूर्व में कराई गई सुरक्षा लेखा परीक्षा शामिल है।
4. प्रमुख उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या सभी खनन प्रचालन सुरक्षा सांविधियों के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं तथा कमियां, यदि कोई हो, का पता लगाना।
5. खान सुरक्षा के लिए अपनाई गई तथा अनुकरण की गई विभिन्न प्रणालियों की समीक्षा करना।
6. सुधार के क्षेत्रों के लिए सुझाव/सिफारिश।

**उत्तर (घ) :** उक्त सुरक्षा लेखापरीक्षा के दौरान खान विशिष्ट कमियां, यदि कोई हों, की पहचान की जाती है। कमियां पूर्ण रूप से खान विशिष्ट होती हैं तथा प्रत्येक खान के अनुसार यह भिन्न होती हैं। पाई गई कमियों के आधार पर यथोचित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

**उत्तर (ड.) :** खान अधिनियम, 1952 तथा कोयला खान विनियमन 1957 और उसके अधीन बनाए गए उपनियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार सांविधिक सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करने के अलावा कोयला खान दुर्घटनाओं को रोकने एवं सुरक्षा मापदंड में सुधार करने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी प्रचालनरत खानों की सुरक्षा लेखापरीक्षा वर्ष 2017 में बहु-विषयक अंतर-कंपनी सुरक्षा लेखा-परीक्षा टीमों के माध्यम से कराई गई है।

2. एक ऑनलाईन केन्द्रीयकृत सुरक्षा मॉनीटरिंग प्रणाली "सीआईएल सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस)" विकसित कर ली गई है तथा सीआईएल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
3. जोखिम आकलन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी), प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजना (पीएचएमपी) तथा मानक प्रचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार करने के लिए सिमटार्स, अस्ट्रेलिया द्वारा जोखिम आकलन पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
4. सभी सहायक कंपनियों में जियो-तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना।
5. सीआईएल की प्रत्येक खान के लिए स्थल विशिष्ट जोखिम आकलन आधारित एसएमपी तैयार की गई है। सभी एसएमपी की मॉनीटरिंग प्रत्येक सहायक कंपनी के आईएसओ द्वारा की जा रही है।
6. सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) के भाग के रूप में प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजना (पीएचएमपी) तैयार की गई है।
7. सभी खनन एंव संबद्ध प्रचालनों के लिए स्थल विशिष्ट जोखिम आकलन आधारित मानक प्रचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार एवं कार्यान्वित की जाती है।
8. अधिकांश ओपनकास्ट खानों में सीएमपीडीआईएल तथा बहु-विषयक आईएसओ टीमों के विशेषज्ञों द्वारा ओबी डम्पों एवं बेंचों के स्थायित्व का संपूर्ण आंकलन कराया गया है।
9. दुर्गम यात्रा वाले यूजी खानों में खान वायु सैंपलिंग एवं मैन राइडिंग प्रणाली में बेहतर सटीकता हेतु गैस क्रोमैटोग्राफ लगाना।

*****